

# आशालिपिक नियमावली

उत्तर प्रदेश सरकार  
वित्त विभाग  
(नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ)  
संख्या-वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)/97-दस-2014  
लखनऊ, 06 जून, 2014  
**अधिसूचना**  
**प्रकीर्ण**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

**उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली,2014**

**भाग-एक-सामान्य**

	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली,2014 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
	2- किसी सरकारी विभाग में आशुलिपिक संवर्ग में समूह "ख" और समूह "ग" के पद समाविष्ट है।	सेवा की प्रास्थिति
नियमावली का लागू होना	3.यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधानमण्डल के कार्यालयों लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षणाधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश और महाधिवक्ता के नियंत्रणाधीन अधिष्ठानों को छोड़कर, सरकारी विभागों में आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर लागू होगी।	
अध्यारोही प्रभाव	4-यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।	
परिभाषाए	5- जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 से है;	

	<p>(ख) "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग में आशुलिपिक सेवा संवर्ग के किसी पद पर, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन नियुक्त करने हेतु सशक्त किसी प्राधिकारी से है;</p> <p>(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;</p> <p>(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;</p> <p>(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;</p> <p>(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;</p> <p>(ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;</p> <p>(झ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;</p> <p>(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा से है;</p> <p>(ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;</p> <p>(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।</p>	
	<b>भाग-दो-संवर्ग</b>	
सेवा का संवर्ग	<p>6-(1) किसी सरकारी विभाग में सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।</p> <p>(2) जब तक कि उप नियम(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सरकारी विभाग में सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी शासनादेश संख्या.वे0आ0-2-2056/दस-54(एम)-2008 टी0सी0,</p>	

	<p>दिनांक 08 सितम्बर, 2010 में अन्तर्विष्ट विनिश्चयों के अनुसरण में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी सरकारी आदेशों में दी गयी है:-</p> <p>परन्तु यह कि:-</p> <p>(क) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;</p> <p>(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।</p>	
	<b>भाग-तीन-भर्ती</b>	
	7-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-	भर्ती का स्रोत
(1) आशुलिपिक संवर्ग	सीधी भर्ती द्वारा,	
(2)वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2	मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	
(3)वैयक्तिक सहायक श्रेणी-1	मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक संवर्ग के कुल पन्द्रह वर्षों की सेवा और वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 के पद पर पांच वर्षों की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	
	8.अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	आरक्षण
	<b>भाग-चार-अर्हतायें</b>	
	9-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-	राष्ट्रीयता
	<p>(क) भारत का नागरिक हो, या</p> <p>(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी,1962 के पूर्व भारत में आया हो, या</p>	

	<p>(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो:</p> <p>परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:</p> <p>परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले,</p> <p>परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।</p> <p>10- सेवा में आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:-</p> <p>(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।</p> <p>(2) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।</p> <p>(3) डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी द्वारा संचालित सी०सी०सी० पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो,</p> <p>या</p>	<p>शैक्षिक अर्हतायें</p>
--	--	------------------------------

	<p>माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो।</p>	
अधिमान्नी अर्हता	<p>11-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने-</p> <p>(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या</p> <p>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>	
आयु	<p>12-सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:</p> <p>परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।</p>	
चरित्र	<p>13-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।</p>	
वैवाहिक प्रास्थिति	<p>14-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो:</p> <p>परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।</p>	
शारीरिक	<p>15-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त</p>	

स्वस्थता	<p>नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल,10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें:</p> <p>परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।</p>	
	<b>भाग-पांच-भर्ती प्रक्रिया</b>	
<p>रिक्तियों का अवधारण</p> <p>आशुलिपिक के पद हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया</p>	<p>16-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां निम्नानुसार अधिसूचित की जायेगीः</p> <p>(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करके;</p> <p>(2) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा;</p> <p>(3) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।</p> <p>17- सेवा में आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली,2002 के अनुसरण में की जायेगी।</p> <p>18-(1) सेवा में वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 और वैयक्तिक सहायक श्रेणी-1 के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर लिये नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश</p>	<p>वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 और वैयक्तिक</p>

सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली,1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

सहायक श्रेणी-1 के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का गठन नियमावली,1992 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी चयन समिति निम्नवत गठित की जायेगी:-

(एक)	नियुक्त प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो)	पद, जिस पर चयन किया जाना है, की पर्यवेक्षकीय हैसियत रखने वाले दो राजपत्रित अधिकारी जिन्हे नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य

**टिप्पणी:**चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2)नियुक्त प्राधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयन्नोति/पात्रता सूची नियमावली,1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4)चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी



	को अग्रसारित करेगी।	
	<b>भाग-छ:नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता</b>	
	<p>19- नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।</p> <p>(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति,चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया गया हो।</p> <p>20-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।</p> <p>(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय।</p> <p>परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।</p> <p>(3)यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरो का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या, संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।</p> <p>(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।</p> <p>(5) नियुक्त प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि</p>	<p>नियुक्ति</p> <p>परिवीक्षा</p>

	की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।													
स्थायीकरण	<p>21- (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा,</p> <p>यदि-</p> <p>(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,</p> <p>(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,और</p> <p>(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।</p> <p>(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली,1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषण करते हुए आदेश को कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।</p>													
ज्येष्ठता	<p>22-सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी</p>													
	<b>भाग-सात-वेतन आदि</b>													
वेतनमान	<p>23-(1)सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायेगा।</p> <p>(2)इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र०सं०</th> <th>पद का नाम</th> <th colspan="2">वेतनमान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>आशुलिपिक</td> <td>वेतन बैण्ड-1 (रूपया 5200-20200)</td> <td>रूपया 2800</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2</td> <td>वेतन बैण्ड-2 (रूपया 9300-34800)</td> <td>रूपया 4200</td> </tr> </tbody> </table>	क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान		(1)	आशुलिपिक	वेतन बैण्ड-1 (रूपया 5200-20200)	रूपया 2800	(2)	वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2	वेतन बैण्ड-2 (रूपया 9300-34800)	रूपया 4200	
क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान												
(1)	आशुलिपिक	वेतन बैण्ड-1 (रूपया 5200-20200)	रूपया 2800											
(2)	वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2	वेतन बैण्ड-2 (रूपया 9300-34800)	रूपया 4200											

	(3)	वैयक्तिक सहायक श्रेणी-1	वेतन बैण्ड-2 (रूपया 9300-34800)	रूपया 4600	परिवीक्षा अवधि में वेतन
	<p>24-फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विभागीय परीक्षा प्रावधानित हो, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:</p> <p>परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।</p> <p>(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:-</p> <p>परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।</p> <p>(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।</p>				
<b>भाग-आठ-अन्य उपबन्ध</b>					
	<p>25-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा।</p> <p>26-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस</p>				<p>पक्ष समर्थन  अन्य</p>

	<p>नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।</p> <p>27-जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हे वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।</p> <p>28-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण व अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।</p>	<p>विषयों का विनियमन</p> <p>सेवा की शर्तों में शिथिलता</p> <p>व्यावृत्ति</p>
--	--	--

आज्ञा से  
अजय अग्रवाल  
सचिव